तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **बृजसुन्दर बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 301/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-09-2022	अपीलार्थी बृजसुन्दर हेमदान बारठ,,पता गांव खारीखूर्द पो. पालसनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.07.2022 में (1) आपसी बंटवाड़ा आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहब जोधपुर दिनांक 11.10.1974 के आदेश की नकल व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1465 दिनांक 07.09.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधिता न होकर तहसील कार्यालय जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत तहसीलदार जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 1146 दिनांक 29.07.2022 द्वारा अंतिरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित किया जा चुका है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में प्रेषित करें, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	